मुकदमा 16/2024   बाबूलाल बनाम ठाकरा

9/7/2024

वकील पक्ष प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय की पेश किया कि सरहद मौजा करावड़ी के पुराने खेत खसरा नम्बर 398 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रार्थीगण के दादा रामाजी पुत्र उम्मेदाजी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि से करावड़ी से नवसृजित ग्राम मालियों का गोलिया के नवीन खसरा नम्बर 551 रकबा 0.03 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टयर कुल रकबा 1.62 हैक्टयर सृजित हुए। रामाजी के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.011.1967 से रामाजी के पुत्रों रायचंद,हेमाराम,हुकमाराम एवं प्रार्थीगण के पिता प्रेमाराम के नाम स्वीकृत हुआ। प्रार्थीगण के पिता का उक्त भूमि में हिस्सा 1/4 दर्ज था, हेमाराम व हुकमाराम ने मिलकर उनके पिता की सहमति के बिना सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 16.03.1970 का कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 08.08.1974 को स्वीकृत हुआ। उक्त बेचान प्रार्थीगण के पिता प्रेमाराम की बिना सहमति,हस्ताक्षर,एवं प्रतिफल प्राप्त किए किया गया, जो उक्त गलत है एवं काबिल दुरस्त है। उक्त भूमि हमारे पुश्तेनी खेतों से सटी हुई है एवं हमारा कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में स्वंय के इन्द्राज का लाभ उठाते हुए बेचान करने एवं हमें भूमि से बेदखल करने की धमकियाँ दे रहे है। अतः अस्थाई निषधाज्ञा इस आशय की विरूद्व प्रार्थीगण फरमाई जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाए रखें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब पेश किया कि प्रार्थी ने करीबन 54 वर्ष पश्चात् दावा पेश किया है, जो म्याद अधिनियम की अनुसूची के आर्टिक 50 एवं 110 के अनुसार भीतर तय म्याद प्रस्तुत नही करने से दावा/प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज है। मौके पर तारीख खरीद से आज दिन तक अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है, जो प्रार्थीगण के पूर्ण जानकारी में था, अतः प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा हिन्दू परिवार के जायज आवश्यकता हेतु हिन्दू कर्ता खानदान द्वारा विक्रय किया गया, जो विक्रय पत्र में स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख कर दिया है। हिन्दू कर्ता खानदान की हैसियत से अप्रार्थीगण को हिन्दू कर्ता खानदान की हैसियत से विक्रय का पूर्ण अधिकार था, अतः प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी थी और रायचंद, हेमा व हुकमा तीनो रामु के संयुक्त परिवार के हिन्दू कर्ता थे, जिन्होने परिवार की जायज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेचान किया। बेचान दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार के खाते ममें मौजा करावड़ी के पुराने खसरा नम्बर 398 रकबा [illegible] व अन्य खसरा नम्बर रामा वल्द उम्मेदा की अविभक्त [illegible] सम्पति के रूप में अवस्थित थी, जिसमें से मौजा करावड़ी [illegible] ग्राम मालियों की ढाणी के नवीन खसरा [illegible] 576, 566, 572, 1077/644, 520, 521, 567, 568, 643 की आराजी बंटवाड़े में दे दी थी, अतः उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक–हकूक अधिकार एवं कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नही है। प्रार्थीगण के पिता प्रेमा ने अपने जीवनकाल में बेचाननामा दिनांक 04.03.1970 को चुनौती नही दी। अप्रार्थीगण प्रेमा के जीवनकाल से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा –काश्त है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(... सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.23 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद में प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के भाईयों एवं उसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित नही करने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण ने भूमि खरीद कर उसके विकास में काफी धनराशि खर्च की गई है। एवं वादग्रस्त भूमि में रहवासी ढाणी में परिवार सहित निवास कर रहे है। हिन्दू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 19556 के प्रावधान के प्रावधान उक्त संव्यवहार पर लागू है, अतः वादी के पिता की सहमति से किया गया बेचान दस्तावेज विधिसम्मत है। वर्तमान में जमीन की किमतो में भारी वृद्धि होने से प्रार्थीगण की नियत में खोट आने के कारण उक्त दावा/प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग--परेशान करने हेतु किया गया है। सन् 1992 के आस--पास सांचौर तहसील में द्वितीय–भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग के आधार पर पर्चा लगान अप्रार्थीगण के नाम जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई। प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही करने से अप्रार्थीगण के नाम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। अप्रार्थीगण पिछले 54 वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है और प्रार्थीगण द्वारा म्याद माफी का प्रार्थना पत्र दावे के साथ पेश नही किया। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थीगण 01 ता 03 क निरन्तर कब्ज–काश्त में होने व रिकॉर्डड खातेदार होने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक–हकूक नही है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार,आधारहीन,मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति नही थी और तीन व्यक्ति कर्त्ता खानदान नही हो सकते है। प्रार्थीगण के पिता प्रेमा व बेचानकर्ता उनके पिता के निधन से पूर्व अलग–अलग रहवास करते थे। वादग्रस्त भूमि के बेचाननामा पर प्रार्थीगण के पिता के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान,सहमति नही होने से बेचाननामा उनके प्रति म्याद का प्रश्न लागू नही होता है। अतः 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के कब्जा–काश्त में है और अप्रार्थीगण उसके किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे।

बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। और बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं संगत् विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित तीन निम्नलिखित सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना समुचित समझते है।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थना में जमाबंदी खतौनी बदोबस्त प्रस्तुत की है, जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा रामा वल्द उम्मेदाजी लगातार खातेदारी में दर्ज थी, एवं उनके दादा रामाजी के देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता प्रेमाराम व उनके भाईयों रायचंद,हुकमा व हेमा के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के नाम जरिए बैचाननामा दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजी के [illegible] द में खातेदारी अधिकारों व हक–हकूकों [illegible] आधार पर बाद जवाब तनकियात कायम पर सा[illegible]बूत [illegible] ही संभव है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण [illegible] जो उनके दादा व [illegible] के नाम खातेदा[illegible] दर्ज रही है, अतः यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है, तो वाद में अनावश[illegible] जटिलताएं पैदा होगी एवं वाद बहुलता बढेगी, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.23 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी रही है एवं प्रथम दृष्टया उनके पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार का बैचान करना साबित नही होता है, परन्तु अप्रार्थीगण वर्तमान रिकार्डेड खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में नही है।

3. अपूर्णीय क्षतिः— वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही जाती है, तो वादग्रस्त आराजी के दुर्व्यय से इंकार नही किया जा सकता है, जिससे वाद बहुलता व अन्य कानूनी पेचीदगियां बढेगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिदुंवार विवेचन के आधार पर हमारा यह निनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूल वाद के निर्णयन तक वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके स्थिति में परिवर्तन नही किए जाने बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसम्मत एवं उचित समझते है।

—:क्रियात्क आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा मालिया का गोलीया के खसरा नम्बर 551 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टयर जुमले रकबा 1.62 हैक्टयर के संबंध में ताफैसला वाद वर्तमान भू—अभिलेखीय राजस्व रैकर्ड एवं मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे। न ही ऐसा अपने किसी प्रतिनिधि या नौकर द्वारा करावे। किसी प्रकार का कच्चा—पक्का निर्माण,मरम्मत प्लांटिग,चारदीवारी आदि नही करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.23 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner